

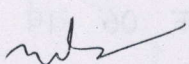
॥ महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर॥
:: दिनांक 07.10.2026 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण ::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर में बंदियों के द्वारा कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने हेतु दायर रिट याचिकाओं में पारित आदेश की अनुपालना में राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के अंतर्गत गठित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक दिनांक 07.10.2026 को महानिदेशक कारागार की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित हुये :-

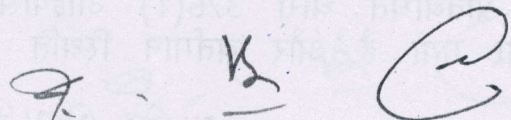
- | | |
|--|-------|
| 1. श्री विक्रम सिंह,
महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान, जयपुर। | सदस्य |
| 2. श्री गोविन्द प्रसाद,
शासन उप सचिव,
गृह (ग्रुप-12) विभाग,
राजस्थान, जयपुर। | सदस्य |
| 3. श्री दिलबाग सिंह,
मुख्य परिवीक्षा अधिकारी,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
राजस्थान, जयपुर। | सदस्य |
| 4. श्री जगमोहन मित्रुका,
उप विधि परामर्शी,
महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर। | सदस्य |

पारित आदेशों की पालना में 03 बंदियों के प्रकरण कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने हेतु समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये गये। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

बंदी का नाम मय पिता	निरूद्ध कारागृह	याचिका संख्या	निर्णय दिनांक	प्राप्ति दिनांक
कालूराम पुत्र बुद्धाराम	के.का.जोधपुर	17767/2026	23.09.2026	28.09.2026
अनेक उर्फ अनिल पुत्र रतन सिंह	के.का.कोटा	14236/2026	25.09.2026	06.10.2026
फरियाद अली पुत्र नूर मोहम्मद अंसारी	के.का.जोधपुर	24120/2026	29.09.2026	06.10.2026



जो 07.10.2026



स्वीकृत प्रकरण का विवरण :-

1. दण्डित बंदी कालूराम पुत्र बुद्धाराम, केन्द्रीय कारागृह जोधपुर:-

बंदी को विशेष न्यायालय पोक्सो एक्ट संख्या 01 पाली द्वारा प्रकरण संख्या 56/2021 अंतर्गत धारा 366,342,376(1) आईपीसी में दिनांक 26.07.2022 को 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा सजा का एक तिहाई भाग सजा भुगते जाने पर इसका प्रकरण पूर्व में आयोजित बैठक दिनांक 09.09.2025 में विचारार्थ रखा गया था। किन्तु बंदी को प्रतिबंधित धारा 376(1) आईपीसी में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित होने के कारण राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों के तहत पात्र नहीं होने पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी को कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने का प्रकरण अस्वीकृत किया गया था।

तत्पश्चात् बंदी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में एस. बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 17767/2026 कालूराम बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त याचिका में आदेश दिनांक 23.09.2026 पारित किया है कि " In support of his contention, learned counsel for the petitioner also relied upon the judgment dated 28.10.2025 passed by this Court in D.B. Criminal Writ Petition No. 2823/2025 Subhash Vs. State of Rajasthan & Ors.

The petitioner's case is similar to the facts of the decision on which petitioner has placed reliance. Therefore, the impugned order is required to be set aside and remitted back for reconsideration. In the result, the present civil writ petition is allowed and the impugned order of rejection dated 09.09.2025 (Annexure-2) is set aside. The matter is remitted back for fresh consideration. The said exercise shall be done within a period of one month from the date of receipt of a certified copy of this order.. "

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता के प्रकरण को डी.बी. क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 2823/2025 सुभाष बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय दिनांक 28.10.2025 के समान बताया जाकर प्रकरण में पुनर्विचार के निर्देश दिये गये हैं। सुभाष बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय दिनांक 28.10.2025 की पालना में समिति द्वारा पूर्व में दण्डित बंदी सुभाष पुत्र हरीशचन्द्र कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने का निर्णय लिया गया है।

समिति द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में प्रकरण का पुनः अवलोकन करने पर पाया गया कि बंदी कालूराम पुत्र बुद्धाराम को प्रतिबंधित धारा 376(1) आईपीसी में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है और वर्तमान स्थिति में बंदी दिनांक 26.09.2026 तक 06 वर्ष

02 माह 18 दिवस की सजा मय परिहार भुगती ली है और कारागृह में बंदी का आचरण अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह जोधपुर द्वारा संतोषप्रद बताया गया है। किन्तु बंदी के प्रतिबंधित धारा में दण्डित होने से बंदी खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवृत्ति नहीं की है।

अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा उक्त एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 17767/2026 कालूराम बनाम राजस्थान में जारी आदेश दिनांक 23.09.2026 में पारित आदेश की पालना में उक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों के तहत दण्डित बंदी कालूराम पुत्र बुद्धाराम को कारागृह से बंदी खुला शिविर में भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

2. दण्डित बंदी फरियाद अली पुत्र नूर मोहम्मद अंसारी, केन्द्रीय कारागृह जोधपुर:-

बंदी को विशेष न्यायालय पोक्सो एक्ट संख्या 05 कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 107/2019 अंतर्गत धारा 376(3) आईपीसी, 5(f)/6,5(n)/6,9(f)(1)/10 पोक्सो एक्ट में दिनांक 06.10.2021 को 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा सजा का एक तिहाई भाग सजा भुगते जाने पर इसका प्रकरण पूर्व में आयोजित बैठक दिनांक 09.09.2025 में विचारार्थ रखा गया था। किन्तु बंदी को प्रतिबंधित धारा 376 आईपीसी, 5(f)/6,5(n)/6,9(f)(1)/10 पोक्सो एक्ट में दण्डित होने के कारण राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों के तहत पात्र नहीं होने पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी को कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने का प्रकरण अस्वीकृत किया गया था।

तत्पश्चात् बंदी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में एस. बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 24120/2026 फरियाद अली बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त याचिका में आदेश दिनांक 29.09.2026 पारित किया है कि " In support of his contention, learned counsel for the petitioner also relied upon the judgment dated 28.10.2025 passed by this Court in D.B. Criminal Writ Petition No. 2823/2025 Subhash Vs. State of Rajasthan & Ors.

The petitioner's case is similar to the facts of the decision on which petitioner has placed reliance. Therefore, the impugned order is required to be set aside and remitted back for reconsideration. In the result, the present civil writ petition is allowed and the impugned order of rejection dated 09.09.2025 (Annexure-2) qua the petitioner is set aside. The matter is remitted back for fresh consideration. The said exercise shall be done within a period of one month from the date of receipt of a certified copy of this order.. "

जोधपुर 01/11/26

9.

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता के प्रकरण को डी.बी. क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 2823/2025 सुभाष बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय दिनांक 28.10.2025 के समान बताया जाकर प्रकरण में पुनर्विचार के निर्देश दिये गये हैं। सुभाष बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय दिनांक 28.10.2025 की पालना में समिति द्वारा पूर्व में दण्डित बंदी सुभाष पुत्र हरीशचन्द्र कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने का निर्णय लिया गया है।

समिति द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में प्रकरण का पुनः अवलोकन करने पर पाया गया कि बंदी फरियाद अली पुत्र नूर मोहम्मद अंसारी को धारा 376(3) आईपीसी, 5(f)/6,5(n)/6,9(f)(1)/10 पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है और वर्तमान स्थिति में बंदी दिनांक 04.10.2026 तक 08 वर्ष 02 माह 15 दिवस की सजा मय परिहार भुगती ली है और कारागृह में बंदी का आचरण अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर द्वारा संतोषप्रद बताया गया है। किन्तु बंदी के प्रतिबंधित धारा एवं पोक्सो एक्ट में दण्डित होने पर बंदी खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवृत्ति नहीं की है।

अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा उक्त एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 24120/2026 फरियाद अली बनाम राजस्थान में पारित आदेश दिनांक 29.09.2026 की पालना में उक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों के तहत दण्डित बंदी फरियाद अली पुत्र नूर मोहम्मद अंसारी को कारागृह से बंदी खुला शिविर में भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

निर्णित प्रकरण का विवरण :-

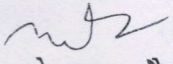
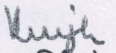
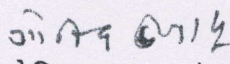
1. दण्डित बंदी अनेक सिंह उर्फ अनिल पुत्र रतन सिंह, केन्द्रीय कारागृह, कोटा:-
बंदी को अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 02 भरतपुर द्वारा प्रकरण संख्या 18/2019 अंतर्गत धारा 302, 120बी आईपीसी में दिनांक 28.11.2024 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया।

बंदी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 14236/2026 अनेक सिंह बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका में आदेश दिनांक 25.09.2026 पारित किया है कि "Considering the facts and circumstances of the matter, the present writ petition is disposed of with liberty to the petitioner to file a fresh representation before respondent No.2 within a period of two (2) weeks from today. The respondent No.2 is directed to decide the said representation within a period of eight (8) weeks from the date of filing of such representation by a speaking order, strictly in accordance with the law. It is made clear that the aforesaid direction to decide such representation has been issued only with a view to ensure an expeditious redressal of the petitioner's grievance. The same shall not be construed to be an

order to decide the representation in a particular manner. Further more, it is needless to say that after adjudication of the representation, if any cause of action still survives, the petitioner would be at liberty to avail further remedies available under the law."

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.09.2026 की पालना में बंदी का प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखे जाने पर पाया गया कि बंदी को बंदी खुला शिविर समिति की बैठक दिनांक 25.08.2026 में बंदी का प्रकरण विचार कर स्वीकृत कर कारागृह से बंदी खुला शिविर में स्थानान्तरण किया जा चुका है।

अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि दण्डित अनेक सिंह उर्फ अनिल पुत्र रतन सिंह का प्रकरण स्वीकृत किये जाने की सूचना राजकीय अधिवक्ता के माध्यम से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर को सूचित किये जाने का निर्णय लिया गया।

				
(अशोक राठौड़)	(विक्रम सिंह)	(गोविन्द प्रसाद)	(दिलबाग सिंह)	(जगमोहन मिश्रा)
अध्यक्ष	सदस्य	सदस्य	सदस्य	सदस्य
महानिदेशक	महानिरीक्षक	शासन उप	मुख्य परिवीक्षा	उप विधि
कारागार	कारागार	सचिव, गृह	अधिकारी	परामर्शी,
राजस्थान,	राजस्थान,	(ग्रुप-12)	सामाजिक न्याय	महानिदेशालय
जयपुर	जयपुर	विभाग,	एवं अधिकारिता	कारागार
		राजस्थान, जयपुर	विभाग, राजस्थान,	राजस्थान, जयपुर
			जयपुर	